


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार स पकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 2996]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 25, 2017/कार्तिक 3, 1939

No. 2996]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2017/KARTIKA 3, 1939

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2017

का.आ.3421(ब).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) और (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर सिटी सिविल न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बॉम्बे, जिसकी अध्यक्षता श्री एस. एम. भोसले, सिटी सिविल एवं अपर सत्र न्यायाधीश कर रहे हैं, को अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु एतद्द्वारा विशेष न्यायालय, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य है, के तौर पर गठित करती है तथा उन्हें उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु एतद्द्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2017

S.O. 3421(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government, on the recommendation of the Chief Justice of the High Court of Bombay, hereby constitutes the City Civil Court and Additional Sessions Judge, Greater Bombay presided over by Shri S.M. Bhosle, City Civil and Additional Sessions Judge, as a Special Court for the trial of Scheduled Offences, having jurisdiction throughout the State of Maharashtra and hereby appoints him as Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009/IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.